संख्या-12/2016/120/41-2016-287 सा0/2015

प्रेषक,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक, 01 फरवरी, 2016**

विषयः- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2016 के प्राख्यापन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1998 में प्रदेश के पर्यटन उद्योग के बहुमुखी विकास के उददेश्य से प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखण्ड अलग होकर एक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है एवं इसके साथ ही ऐसे राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों की प्रभावी मार्केटिंग परम आवश्यक है, ताकि प्रदेश में पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ परिलक्षित हो सके। पर्यटन आज बहुआयामी रूप ले चुका है, आधुनिक जीवन शैली, अतिरिक्त आय तथा सूचनाक्रांति परिवारों को पर्यटन की ओर अग्रसर करती है। आज का प्रबुद्ध, जिज्ञासु पर्यटक, पर्यटन के लिए नित नये क्षेत्रों और आकर्षणों की खोज कर रहा है।

अतः रणनीतिपरक एवं सुनियोजित पर्यटन गतिविधियों की अपरिमित सम्भावनाओं के सम्यक सदुपयोग के परिपेक्ष्य में प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करने के उददेश्य से एक नई पर्यटन नीति परमावश्यक है।

- भारत अन्तर्राष्ट्रीय अधिमान्य पर्यटन केन्द्र के रुप में विश्व-पटल पर स्थापित हो चुका है।
- उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में सबसे अधिक पर्यटन आगमन प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है।
- वर्ष 1998 में प्रदेश में आने वाले 7.27 लाख विदेशी पर्यटको की संख्या वर्ष 2014 तक बढ़कर लगभग 29.09 लाख हो चुकी है।
- विगत वर्षो में सभी गतिविधियॉ इन्टरनेट पर आधारित हो गयी है तथा डिजिटल मीडिया में नित नये अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। इस तकनीकी विकास के फलस्वरूप पर्यटन जगत में भी बड़ा परिवर्तन आया है।
- पर्यटन विभाग की भूमिका एक सेवा प्रदाता की भूमिका में बदल गयी है। विभाग को पर्यटन से जुड़ी समस्त संस्थाओं, वाणिज्यिक संगठनों को जोड़कर चलना है। अतः समय को देखते हुए हमें एक आधुनिक, गतिशील, व्यवहारिक तथा परिणाम परक पर्यटन नीति की आवश्यकता है।

2. ध्येय

- प्रदेश में स्थित पर्यटन उत्पादों को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार विकसित करना कि वह चिरस्थाई हों।
- प्रदेश में पर्यटक आगमन बढाकर प्रदेश की आर्थिक उन्नति को और सम्पुष्ठ करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

- प्रदेश में पर्यटन का विस्तार करना ताकि रोजगार सृजन सम्भावनाएं विकसित हो तथा सामाजिक आर्थिक समरसता स्थापित हो।

3. उद्देश्य

- नये पर्यटक उत्पादों को चिन्हित कर विकसित करना।
- नये सर्किटस् का विकास एवं प्रचलित पर्यटन सर्किट का पुनर्गठन।
- उपलब्ध पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं विस्तार।
- पर्यटन स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।
- वैकल्पिक पर्यटन का विकास।
- प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
- प्रदेश की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने हेतु सतत् प्रयत्नशीलता।
- जनसामान्य में पर्यटन के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता विकसित करना।
- निजी क्षेत्र को पर्यटन सेक्टर में सहभागिता एवं पूंजीनिवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- पर्यटकों के लिये उत्तर प्रदेश भ्रमण एक सुखद अनुभव बनाना।
- सूचना संचार के आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए पर्यटकों के प्रदेश भ्रमण को सहज व सुखद बनाना।

4. चुनौतिया

- पर्यटन स्थलो पर अपर्याप्त पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं।
- रेल, वायु एवं सडक परिवहन को सुदृढ करना ताकि पर्यटक निर्बाध ढ़ंग से प्रदेश के पर्यटन-स्थलों का भ्रमण कर सकें।
- अपर्याप्त होटल कक्षों की उपलब्धता।
- पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित व कुशल कर्मियों की कमी।
- उच्च गुणवत्ता के रेस्टोरेण्ट की सीमिति संख्या।
- पर्यटन स्थलों को साफ व सुदर्शन बनाये रखना।
- स्वच्छ, आरामदेह, आधुनिक शौचालयों की पर्यटन-स्थलों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- विरासत-स्थलों को संरक्षित रखना।
- प्रशिक्षित गाइडों की आपूर्ति।
- पर्यटको को लपकों, भिखारियों, दुकानदारों आदि द्वारा शोषित होने से बचाना।
- उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य के रुप में प्रस्तुत करना।
- उत्तर प्रदेश को एक ब्राण्ड के रुप में स्थापित करना।
- पर्यटन को इस प्रकार विकसित करना कि बहुसंख्या में स्थानीय जन समुदाय उससे जुड़ सके व पर्यटन उनके जीवीकोपार्जन का एक मुख्य माध्यम बन सके।

5. रणनीति

5.1. पर्यटन स्थलों पर पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण

1. प्रदेश के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का सृजन करेगा। इसमें निजी क्षेत्र की भी सहभागिता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. राज्य सरकार के आयोजनागत बजट में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन का बजट प्रतिवर्ष अनुपातिक रूप से बढ़ाया जायेगा।
3. पर्यटन स्थलों के दूरगामी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 10 वर्षों हेतु योजना परिकल्पित की जायेगी।
4. प्रदेश के पिछड़े इलाकों में जहॉ अभी पर्यटन का विकास नहीं है, पर्यटन को विकसित किया जायेगा ताकि इन इलाकों में रोजगार संभावनाएं बनें तथा आर्थिक समृद्धि आए, इसके लिए हेरिटेज आर्क तथा अन्य नीतियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।
5. पर्यटन स्थलों पर अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
6. पर्यटन स्थलों को आधुनिक दूर संचार सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
7. जल/सीवेज निकासी व्यवस्था/सड़क सम्पर्क मार्गों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
8. अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के इस कार्य में केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
9. पर्यटन विकास हेतु वैकल्पिक पर्यटन यथा योग, नैचुरोपैथी, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, मूर्त तथा अमूर्त विरासत एवं हस्तशिल्प कला आदि के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
10. प्रदेश के पर्यटन विकास को गति देने हेतु ख्याति प्राप्त देशी व विदेशी कन्सल्टेंट्स के माध्यम से विशेष अध्ययन कराए जाएंगे तथा उनके निर्देशन में पर्यटन परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। विभागीय बजट में इनके लिए पृथक से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
11. प्रदेश में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा जनपद स्तर पर 36 जनपदों में पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जायेगा, जिसमें पर्यटन परियोजनाओं/प्रचार-प्रसार/ब्रान्डिंग प्रमोशन आदि के सम्बन्ध में राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर एवं जिला स्तर पर प्रभावी विचार विमर्श एवं अनुश्रवण किया जा सके।

6. पर्यटन परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

6.1 वायु परिवहन

1. प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक यात्रा सुगम बनाने हेतु वायु परिवहन को विकसित किया जायेगा। सभी बड़े पर्यटन स्थलों को वायुमार्ग से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में केवल आगरा, लखनऊ व वाराणसी नगरों हेतु वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद आदि में सिविल एअरपोर्ट्स की स्थापना की जाएगी।
2. आगरा व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्मित किए जाएंगे।
3. दूरस्थ भागों में स्थित पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों की पहुँच सुगम बनाने हेतु एअर टैक्सी सर्विस/हेलीकॉप्टर सर्विस को प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. निजी उद्यमियों को वायु सेवा संचालन हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा।

6.2 सड़क परिवहन

1. प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन सड़क मार्गों को 4 लेन वाला अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा।
2. लोक निर्माण विभाग के सहयोग से प्रदेश के पर्यटन गन्तव्यों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों को उच्च गुणवत्ता का बनाया जाएगा। पर्यटन सड़क अवस्थापना के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में अलग से मद सृजित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सड़क मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइनेज स्थापित किए जाएंगे।

6.3 बस यातायात

1. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम एवं निजी संस्थाओं के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए अन्तर्जनपदीय संचालित भ्रमण की व्यवस्था करायेगा।
2. हॉप-ऑन तथा हॉप-ऑफ जैसी विशेष पर्यटन बस सेवाएं पर्यटन स्थलों में संचालित की जायेंगी।

6.4 रेल परिवहन

1. वर्तमान में शताब्दी एक्सप्रेस से केवल लखनऊ व आगरा जैसे गन्तव्य नई दिल्ली से जुड़े हैं। प्रयास किया जाएगा कि अन्य महत्वपूर्ण गन्तव्य, यथा-वाराणसी, गोरखपुर आदि को भी तीव्र रेल-सेवाओं से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जा सके।
2. आगरा-लखनऊ-वाराणसी को परस्पर शताब्दी ट्रेन के माध्यम से जोड़े जाने का प्रयास किया जायेगा।
3. ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु पर्यटक ट्रेनों की व्यवस्था की जायेगी, जो अभी तक रेलमार्गों से जुड़े नहीं है (जैसे मथुरा-वृन्दावन, दुधवा मार्ग, आगरा-फतेहपुर सीकरी इत्यादि)।

6.5 नए पर्यटन गन्तव्यों का विकास

1. नए पर्यटक गन्तव्यों एवं नये कान्सेप्ट को चिन्हित कर उन्हें पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. वर्ष 1998 की पर्यटन नीति में 7 परिपथ पर्यटन विकास हेतु चिन्हित किए गए थे। इन्हें पुनर्गठित करते हुए इनमें नवीन आकर्षण जोड़े जाएंगे।

   वर्ष 1998 में चयनित परिपथः-

   - बृज परिपथ (मथुरा, वृन्दावन, आगरा तथा श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र)।
   - बुन्देलखण्ड परिपथ (झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र)
   - बौद्ध परिपथ (भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल)
   - विन्ध्य परिपथ (विन्ध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़ा क्षेत्र)
   - अवध परिपथ (लखनऊ तथा इलाहाबाद व उनके मध्य का क्षेत्र)
   - वन, इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ (प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार, इको टूरिज्म स्थल आदि)।
   - जल विहार परिपथ (ऐसे क्षेत्र जहॉ जल क्रीडा की सम्भावनाएं हैं)।

   इस श्रृंखला में 7 नए परिपथ भी जोड़े जाएंगे-

   - हेरिटेज आर्क (आगरा-लखनऊ-वाराणसी) परिक्षेत्र
   - महाभारत परिपथ (महाभारत काल से जुड़े स्थल)
   - रामायण परिपथ (रामायण में उल्लिखित स्थल)
   - जैन परिपथ (जैन धर्म से जुड़े स्थल)
   - सूफी परिपथ (सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल)
   - स्वतंत्रता संग्राम परिपथ (स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल)
   - क्राफ्ट, क्यूज़ीन एवं कल्चर, ट्रेन (हस्तशिल्प, व्यंजनों व विशिष्ट सांस्कृतिक केन्द्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

6.6 कुशल कार्मिकों की व्यवस्था

1. मानव संसाधन विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र को प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु बजट में पृथक से व्यवस्था की जाएगी।

2. स्थानीय समुदायों को पर्यटन उद्योग में विद्यमान रोजगार सम्भावनाओं के विषय में जागरूक किया जायेगा, ताकि वे पर्यटन उद्योग में जिन क्षमताओं की आवश्यकता है, अपने में विकसित कर सकें।

3. पर्यटन उद्योग को भी स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिभायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा, ताकि स्थानीय जनसमुदाय पर्यटन विकास से लाभान्वित हो सकें। इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय निकायों उद्योग विभाग आदि का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

4. प्रदेश के पिछड़े इलाकों में पर्यटन उद्योग उपक्रम लगाने हेतु स्थानीय जनसमुदायों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।

5. पर्यटन उद्योग में नियोक्ताओं को कुशल व प्रशिक्षित कार्मिकों को उचित मानदेय देने हेतु प्रेरित करना, ताकि युवा प्रतिभाओं को पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने हेतु आकर्षित किया जा सके।

6. पर्यटन प्रबन्ध संस्थान को उच्चीकृत कर प्रदेश में पर्यटन प्रशिक्षण हेतु नोडल ऐजेंसी बनाया जाएगा। विश्व के विख्यात पर्यटन विद्यालयों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर मानव संसाधन के विकास में उनका योगदान लिया जाएगा।

7. निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रदेश के अवध, वाराणसी, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड क्षेत्रों में चार नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

6.7 होटल कक्षों की कमी को दूर करना

1. प्रमुख पर्यटन मार्गों पर आवश्यकतानुसार मार्गीय सुविधाओं का निजी क्षेत्र के सहयोग से विकास किया जाएगा।
2. ऐसे स्थान जहाँ आवासीय कक्षों की कमी है वहाँ अन्य शासकीय विभागों की अप्रयुक्त सम्पत्तियों यथा- सिंचाई, लोक निर्माण, वन एवं अन्य सरकारी परिसम्पत्तियों को चिन्हित करके, पर्यटकों के उपयोग में लाया जाएगा
3. स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों में पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु नियमों को लचीला बनाकर निजी क्षेत्र को इस हेतु आगे आने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. नगर योजना में विकास प्राधिकरणों के लिए पर्यटन गतिविधियों हेतु भूखण्डों की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
5. नगरों की महायोजना में सभी प्रकार के भू-उपयोगों के अन्तर्गत होटल निर्माण अनुमन्य होंगे।
6. होटल निर्माण के लिए भूखण्डों के चयन में पर्यटन विभाग का परामर्श से लिया जाएगा।

6.8 धार्मिक पर्यटन का विकास

1. प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर पर्यटक अवस्थापना सुविधाएं यथा-जल, विद्युत, यात्री छादक, सम्पर्क मार्ग, सफाई व्यवस्था आदि को सुदृढ़ करते हुए उच्चीकृत किया जाएगा।
2. धार्मिक स्थलों पर संचालन ट्रस्ट बनाकर समस्त व्यवस्थाएं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भाँति सुदृढ़ की जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. धार्मिक स्थलों पर स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता में आवासीय सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।
4. धार्मिक स्थलों पर स्थानीय निकायों के माध्यम से अनवरत सफाई अभियान चलवाये जायेंगे।
5. पर्यटकों के लिये धार्मिक यात्रा सुगम बनाने हेतु प्रमुख केन्द्रों पर टूरिस्ट फेसिलिटेशंन सेन्टर स्थापित किये जायेंगे, जिनमें पर्यटकों को सूचना, भोजन तथा आवासीय व्यवस्था हेतु केन्द्रीयकृत आरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
6. आगामी दस वर्षो में ऐसे टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर्स की स्थापना वृन्दावन, विन्ध्याचल, अयोध्या, नैमिषारण्य, वाराणसी आदि स्थानों पर की जायेगी।

6.9 विरासत स्थलों का संरक्षण

1. हेरिटेज जोन्स की व्यवस्था- ऐसे क्षेत्र जहाँ विरासत भवनों की बहुतायत हो, को हेरिटेज जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ऐसे चिन्हित क्षेत्रों हेतु उपबन्धों का पृथक से निर्माण किया जाएगा। चिन्हित हेरिटेज क्षेत्रो में बहुमंजली इमारतों का निर्माण प्रतिबन्धित कर इनके पुराने स्थापत्य को संरक्षित किया जाएगा।

2. हेरिटेज जोन के चिन्हीकरण तथा बाइलाज बनाने हेतु निम्नवत् गठित कमेटी को पुर्नजीवित किया जायेगा-

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	सदस्य
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति	सदस्य
(5)	निदेशक, पुरातत्व विभाग, उ0प्र0	सदस्य
(6)	निदेशक, संस्कृति विभाग	सदस्य
(7)	निदेशक, संग्रहालय, उ0प्र0	सदस्य
(8)	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
(9)	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0	सदस्य-संयोजक

7. प्रदेश में स्थित विरासत महत्व के महल, हवेलियों आदि को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे हेरिटेज होटलों के निर्माण एवं संरक्षण हेतु वर्ष 2014 में हेरिटेज पर्यटन नीति पृथक से लागू की गई है। इसे और सुदृढ़ बनाकर हेरिटेज भवनों के विकास और संरक्षण को बल दिया जाएगा।

7.1 विरासत महत्व के भवन को हेरिटेज होटल की अनुमन्यता हेतु दिशा निर्देश- भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुरूप वर्ष 1950 के पूर्व निर्मित विरासत महत्व के पुराने भवन/किले/हवेलियों/कोठी /कैसल होटलों के रूप में संचालित किये जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। हेरिटेज होटल किसी भी आकार व माप के हो सकते है। भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित परिभाषा एवं निम्नांकित मापदण्डों के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में विरासत महत्व के भवनों का हेरिटेज होटल में परिवर्तन मान्य किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7.2 विरासत महत्व के भवन का हेरिटेज होटल के रुप में परिवर्तन हेतु होटल एन्ड रेस्टोरेंन्ट एप्रूवेल एन्ड क्लासिफिकेशन कमेटी से हेरिटेज होटल स्तर का वर्गीकरण अथवा प्रदेश सरकार द्वारा गठित द्विस्तिरीय कमेटी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पश्चात हेरिटेज होटल हेतु अनुमन्य विशेष छूट व सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस हेतु हेतु परियोजना प्रस्ताव के परीक्षण एवं नियमित अनुश्रवण हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हैः-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. उप जिलाधिकारी (सम्बधित परगना)	सदस्य
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4. प्रबन्धक, यू0पी0एस0टी0डी0सी0 इकाई (निकटस्थ इकाई)	सदस्य
5. निदेशक, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी	सदस्य सचिव

परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु निम्नाकिंत उच्च समिति का गठन किया किया जाना प्रस्तावित हैः-

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, पर्यटन	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, संस्कृति	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण	सदस्य
6. अधीक्षण पुरातत्व, ए0एस0आई0	सदस्य
7. प्राचार्य, आई0एच0एम0 लखनऊ	सदस्य
8. अध्यक्ष, यू0पी0एच0आर0ए0	सदस्य
9. विभागाध्यक्ष, वास्तुकला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय	सदस्य
10. महानिदेशक, पर्यटन	सदस्य सचिव
11. प्रख्यात संरक्षण वास्तुविद	नामित सदस्य

7.3 प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के आधीन होगाः-

1. हेरिटेज होटल में परिवर्तित विरासत महत्व के भवन का निर्माण 1950 के पूर्व हुआ हो।
2. किसी भी विरासत महत्व के भवन की वास्तुविदीय विशेषताओं को यथासम्भव यथावत रखा जाये। आवश्यकता पड़ने पर उसमें किया जाने वाला किसी भी प्रकार का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/सुधार/रख-रखाव आदि उपलब्ध वास्तुविदीय विशेषताओं के अनुरूप तथा उसके साथ सामंजस्य रखने वाला होगा।
3. विरासत महत्व के भवन का आसन्न परिवेश और विशेष रूप से, ऐसी विरासत महत्व की सम्पत्तियों तक का पहुंचमार्ग, हेरिटेज होटल की वास्तुविदीय विशेषताओं के अनुरूप होगा।
4. भवन का अग्रभाग, स्थापत्य शैली तथा सामान्य निर्माण कार्य, स्थान विशेष की सांस्कृतिक विशेषताओं/परम्पराओं की पूर्ण परिचायक होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उक्त हेरिटेज होटल में उपलब्ध सुविधाये यथा सम्भव स्वच्छ तथा उच्च कोटि की होगी।
6. हेरिटेज होटल, उच्च स्तर की ऐसी खान-पान सेवा उपलब्ध कराये जो यथा संभव क्षेत्र विशेष की पारम्परिक जीवनशैली का परिचायक हो। सेवायें, सुविधायें एवं आसन्न परिवेश उच्च स्तर का होगा।
7. हेरिटेज होटल द्वारा यदि शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुदान की राशि 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ शासन को वापिस करनी होगी अन्यथा इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
8. आवेदनों का अधिकतम् 90 दिवस में निस्तारण किया जायेगा तथा अस्वीकृति की दशा में कारणों सहित आवेदन कर्ता को सूचित किया जायेगा।

7.4 हेरिटेज पर्यटन नीति 2014 में निहित प्राविधानों एवं विशेष छूट व सुविधायें प्राप्त करनें हेतु मान्य होगा, इस अनुमन्यता से होटल एन्ड रेस्टोरेंन्ट एप्रूवेल एन्ड क्लासिफिकेशन कमेटी से हेरिटेज होटल स्तर के वर्गीकरण का समानता नहीं होगी।

7.5 हेरिटेज भवनों की हेरिटेज होटल के रूप में संचालन साध्यता सुनिश्चित करने हेतु 1000 वर्गमीटर या प्लिंथ एरिया का 10 प्रतिशत वाणिज्यक गतिविधियों हेतु उपयोग किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

7.6 1950 से पूर्व निर्मित ऐसे हेरिटेज भवन जो भले ही संकरे मार्गों पर हों किन्तु 40 से 60 फीट चौड़े रोड पर वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था कर सके तथा पार्किंग स्थल से अपने भवन तक आने हेतु छोटे वाहनों को लाये जाने की व्यवस्था कर सकें, को भी हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जायेगी। ऐसे होटलों को आवश्यक आपातकालीन व्यवस्थाएं प्रश्नगत इकाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।

7.7 नगर निगमों में, उनकी सीमा के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों की साफ-सफाई व प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम के बजट में अलग से हेरिटेज कोष की स्थापना की जायेगी। इस कोष के संचालन हेतु पृथक से कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी जो इसका क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

8. <u>विरासत विकास कोष की स्थापना</u>

प्रदेश में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हेरिटेज मान्यूमेन्ट्स, पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं उनके विकास के लिए विरासत विकास कोष की स्थापना की जायेगी। इस कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था शासकीय बजट व निजी क्षेत्र की सहभागिता से की जायेगी। इस कोष में निजी क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायिक समूहों द्वारा सी0एस0आर0 गतिविधियों हेतु सुनिश्चित धनराशि, विभिन्न संस्थाओं से अनुदान प्राप्त कर सरकारी एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्य कराया जायेगा।

9 <u>पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन।</u>

राज्य स्तर पर पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन शासनादेश सं0-623/41-2014-25 सा0/14, दिनॉक 04.03.2014 द्वारा किया गया है। यह परिषद पर्यटन संबंधी समस्याओं, गतिविधियों, विकास कार्यों के संबंध में अपनी संस्तुतियॉ प्रदान करेंगी एवं आपसी सामंजस्य द्वारा स्थानीय समस्याओं का निदान करेगी। राज्य स्तरीय एवं केन्द्र स्तरीय प्रकरणों को अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तरीय परिषद के विचारार्थ संदर्भित की जाएगी। राज्य स्तरीय पर्यटन प्रोत्साहन परिषद की संस्तुतियों का कार्यान्वयन पर्यटन विभाग सुनिश्चित करेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

10 अन्तर्विभागीय मंत्री समूह की स्थापना

पर्यटन विकास से सम्बन्धित अन्तर्विभागीय समस्याओं के निराकरण तथा पर्यटन से सम्बन्धित विभागों एवं परामर्श तथा उनसे आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु अन्तर्विभागीय मंत्री समूह की स्थापना की जायेगी। यह बैठक मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की जायेगीः-

1-मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2-मंत्री राजस्व विभाग	सदस्य
3-मंत्री संस्कृति विभाग	सदस्य
4-मंत्री पर्यटन विभाग	सदस्य
5-मंत्री वन विभाग	सदस्य
6-मंत्री लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7-मंत्री आबकारी विभाग	सदस्य
8-मंत्री ऊर्जा विभाग	सदस्य
9-मंत्री नगर विकास विभाग	सदस्य
10-मंत्री ग्राम विकास विभाग	सदस्य
11-प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन	संयोजक/सदस्य

11. पर्यटन से जुड़े उद्योगों को उन्नत तथा सुव्यवस्थित करने हेतु पुराने अधिनियमों को संशोधित व परिष्कृत करते हुए उद्योगों के विकास के लिए और उपयोगी बनाया जाएगा।

- 'उ0प्र0 पर्यटन अधिनियम' लाया जायेगा।
- होटल पंजीकरण नियमावली लाई जाएगी।
- पंजीकृत इकाईयों को विशेष सुविधा पैकेज दिए जाएंगे।
- सुख-साधन कर अधिनियम 1975 में संशोधन किया जाएगा।

12. पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन एवं सुविधायें

(1) रू0 2.00 करोड़ तक की बैंक लोन प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाईयों को 05 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रथम 03 वर्ष के लिए तथा रू0 2.00 करोड़ से अधिक तथा 5.00 करोड़ से कम की बैंक लोन प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाईयों को 03 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रथम 03 वर्ष के लिए।

(2) रू0 5.00 करोड़ से अधिक का बैंक लोन प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाईयों को बैंक लोन का 15 प्रतिशत अथवा रू0 7.50 करोड़ जो भी कम हो का पूंजीगत अनुदान तथा बुन्देलखण्ड एवं बौद्ध परिपथ में आने वाली पर्यटन इकाईयों को 15 प्रतिशत अथवा रू0 10.00 करोड़ जो भी कम हो का पूंजीगत अनुदान।

(3) हेरिटेज होटलों हेतु भूमि अन्तरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी एवं अन्य पर्यटन इकाईयों (होटलों इत्यादि) पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति पर्यटन इकाई के संचालन के उपरान्त देय होगा।

(4) नई पर्यटन इकाईयों को भू-परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

(5) नई पर्यटन आवासीय इकाईयों को अगले पांच वर्षों तक सुख-साधन कर से मुक्त रखा जायेगा।

(6) पैंइंग गेस्ट एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों को पूर्व की भांति अव्यावसायिक गतिविधि मानी जायेगी।

(7) नये निर्मित होटल में संचालित रेस्टोरेन्ट को अगले पांच वर्षो तक ट्रेड-टैक्स से मुक्त रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रदेश में नये निर्मित होने वाले थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क को अगले पांच वर्षों तक मनोरंजन कर से मुक्त रखा जायेगा।

13. प्रोत्साहन एवं सुविधायें की स्वीकृति हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया किया जाना प्रस्तावित हैः-

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, पर्यटन	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, संस्कृति	सदस्य
6. महानिदेशक, पर्यटन	सदस्य सचिव

14. प्रोत्साहन एवं सुविधायें प्राप्त करने हेतु अनुमन्यता एवं शर्ते

1. पर्यटन इकाई को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा (प्रथम/कार्य संचालन 6 माह के भीतर) पंजीकरण प्रमाण पत्र महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्गत किया जायेगा।

2. ब्याज-अनुदान की देयता ऋण स्वीकृत होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक अनुमन्य होगी।

3. अनुदानित धनराशि का सकल योग कुल परियोजना मूल्य से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यटन इकाई का संचालन आगामी पांच वर्षों तक किये जाने की बाध्यता होगी।

5. पर्यटन इकाई द्वारा यदि शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुदान की राशि 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ शासन को वापिस करनी होगी अन्यथा इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

6. प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाई को समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति/दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। पालन न करने की दशा में पर्यटन विभाग द्वारा प्रोत्साहन एवं सुविधाएं वापस ले ली जायेगी।

7. पर्यटन इकाई द्वारा लेबर लॉ तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जायेगा।

8. पर्यटन इकाई द्वारा संचालन रोजगार सृजन, वित्तीय वार्षिक लेखा तथा प्राप्त की गयी प्रोत्साहन धनराशि के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग को अर्द्धवार्षिक अवधि में नियमित रूप से अवगत कराया जायेगा।

9. किसी भी विवाद अथवा दिशा-निर्देशों की स्पष्टता के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

15. निम्नलिखित पर्यटन गतिविधियों को पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत माना जाएगा।

1. होटल/मोटल तथा रेस्टोरेण्ट
2. हेरिटेज होटल
3. राष्ट्रीय मार्ग अथवा राजमार्ग पर स्थित ऐसी मार्गीय सुविधाएं, जहॉ रेस्टोरेण्ट तथा पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो।
4. टूरिस्ट रिसार्ट/टूरिस्ट विलेज
5. थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क
6. नेचर वाक, सिटी वाक, हेरिटेज वाक, साईकिल टूअर्स इत्यादि

http://shasanadesh.up.nic.in

7. पारम्परिक शिल्प तथा अन्य कलाकृतियों का निर्माण एवं विपणन
8. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों/भवनों के संरक्षण संबंधी कार्य
9. पर्यटन/होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना।
10. पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ी पर्यटन गतिविधियॉं/जंगल सफारी आदि।
11. घरेलू अतिथि (पेइंग गेस्ट) योजना
12. साहसिक क्रीड़ाएं, जैसे- ट्रेकिंग, राक क्लाइम्बिंग, जल-क्रीड़ाएं, नौका दौड़, स्केटिंग, मत्स्य आखेट, एअरो स्पोर्टस अन्य खेल आदि का आयोजन व प्रशिक्षण संबंधी कार्य
13. कारवॉं, क्रूज वोट, यॉंच, हाउस बोट एवं बोट क्लब की स्थापना
14. रज्जू मार्ग (रोप वे) की स्थापना एवं संचालन
15. योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान
16. ट्रैवेल एजेण्ट/टूर आपरेशन कम्पनी
17. हीलियम एवं हाट एअर बैलून का संचालन
18. ग्रामीण पर्यटन
19. स्पा एवं हेल्थ रिर्जाट
20. माइस कन्वेंशन सेन्टर (कम से कम दस हजार वर्गफीट कारपेट एरिया)

- पर्यटन उद्योग से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु एकल मेज प्रणाली व्यवस्था और प्रभावी बनाई जाएगी।

16. होटल उद्योग को अन्य अनुमन्य सुविधायें

1. पर्यटन गतिविधियों की स्थापना हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का हस्तान्तरण (कनर्वजन) बिना किसी प्रकार के शुल्क के किया जायेगा तथा इस पर विकास शुल्क देय नहीं होगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्रों पर शहरी क्षेत्र में 60 दिनों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों में समस्त कार्यवाही पूर्ण की जानी होगी। उक्त समयावधि के पश्चात् यदि कोई कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा नहीं की जाती है तो कन्वर्जन प्लान को स्वीकृत माना जायेगा।
2. शहरी क्षेत्र में होटल निर्माण हेतु उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित मानचित्र प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रुप से प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास करने की व्यवस्था रहेगी ।
3. पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा एवं उद्योगों को अनुमन्य समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी यथाः-

   1-प्राथमिकता के आधार पर विद्युत भार की स्वीकृति।

   2-पर्यटन उद्योग को प्रदेश के अन्य उद्योगों की भॉंति, निजी उद्यमियों को इकाईयों को स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

   3-नगर निगम-जल संस्था द्वारा उद्योगों पर अधिरोपित होने वाले टैक्स की भॉंति होटलों पर भी लागू होंगे।

   4-औद्योगिक क्षेत्र में, होटल निर्माण की अनुमन्यता होगी।

   5-पर्यटन इकाईयों/पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत आने वाले संयन्त्र एवं मशीनरी या उपकरणों की खरीद पर 30 प्रतिशत वैट में छूट प्रदान की जायेगी।

   6-उद्योगों को अनुमन्य अन्य समस्त सुविधायें।

http://shasanadesh.up.nic.in

17. प्रदेश की छवि निखारना

1. पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश भ्रमण एक सुखद सुरक्षित अनुभूति बनाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
2. प्रदेश में पर्यटकों को त्वरित सहायता प्रदान किए जाने हेतु चार अंको का एक पर्यटक हेल्पलाईन नं0 24 x 7 स्थापित किया गया है। इस पर हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा प्रमुख विदेशी भाषाओं में भी वार्तालाप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
3. पर्यटन पुलिस की संख्या बढ़ाकर सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर इनकी तैनाती की जाएगी।
4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले पर्यटन आयोजनों में विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
5. देशी/विदेशी नगरों में रोड शो आयोजित कर प्रदेश की छवि निखारने का प्रयास किया जाएगा।
6. स्कूलों, एन0जी0ओ0 तथा उद्योगों एवं संस्थान के सहयोग से महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यों पर सफाई अभियान चलाये जायेंगे।
7. अपशिष्ट प्रबन्धन, सैनिटेशन तथा स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं को पर्यटन स्थलों पर अभियान चलाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
8. पर्यटन क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में इन संस्थाओं द्वारा पर्यटकों को अच्छी सुविधा प्रदान की जा सके। विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओ में सर्वश्रेष्ठ साफ-सुथरे पर्यटक स्थल, सर्वश्रेष्ठ नवीन पर्यटन योजना, सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, सर्वश्रेष्ठ होटल, सर्वश्रेष्ठ ट्रान्सपोर्ट आपरेटर, सर्वश्रेष्ठ टूअर आपरेटर, सर्वश्रेष्ठ ट्रवल ऐजेन्सी, सर्वश्रेष्ठ स्थानीय व्यजंन को बढ़ावा देने वाले रेस्टोरेन्ट इत्यादि होंगे। इस हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे। पुरस्कार की धनराशि प्रदान करने, आयोजन कराने आदि के लिए अलग से बजट का प्राविधान किया जाएगा।
9. महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था की जायेगी।
10. व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा प्रदेश की छवि को ब्राण्ड के रुप में स्थापित किया जायेगा।

18. उत्तर प्रदेश की एक ब्राण्ड रूप में स्थापना

1. उत्तर प्रदेश की छवि निखारने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
2. पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा में आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थल लखनऊ होते हुये वाराणसी जाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत इन पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षित करने हेतु हेरिटेज आर्क के अन्तर्गत आगरा-लखनऊ-वाराणसी परिक्षेत्र के समीपवर्ती 26 जनपदों में पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास/सौंदर्यीकरण तथा अवस्थापना सुविधा का विस्तार किया जायेगा साथ ही पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों पर विशेष बल दिया जायेगा। हेरिटेज आर्क का प्रचार-प्रसार प्रिण्ट, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल एवं आउट डोर मीडिया के माध्यम से वृहत स्तर पर किया जायेगा, जिससे प्रदेश में आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा तथा रात्रि प्रवास में वृद्धि होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर पर्यटकों को सूचना देने हेतु पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
4. एक रणनीतिपरक् विज्ञापन कैम्पेन प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक व आउटडोर मीडिया के माध्यम से चला कर प्रदेश की छवि निखारी जाएगी।
5. पर्यटन-प्रचार प्रणाली में सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पेज आदि को और अधिक समृद्ध किया जाएगा।
6. फिल्मों को भी पर्यटन-प्रचार का माध्यम बनाया जाएगा। फिल्म निर्माताओं को उत्तर प्रदेश के पर्यटन-स्थलों पर फिल्मांकन करने हेतु पर्यटन विभाग विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति इस हेतु विशेष उपयोगी होगी।
7. उत्तर प्रदेश के अभी तक अनछुए पहलुओं यथा-हस्तशिल्प कलाओं, लुप्त होती कारीगरी विधाओं, ग्रामीण शिल्पकारों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण पर्यटन नीति का उपयोग करते हुए पर्यटन को दूरदराज के इलाकों में भी ले जाया जाएगा।
8. प्रदेश में आयोजित होने वाले पारम्परिक मेलों, पर्यटन महोत्सवों, त्यौहारों, उत्सवों आदि का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करके उन्हें उत्तर प्रदेश का परिचय देने का सशक्त माध्यम बनाया जायेगा।
9. देश-विदेश में होने वाले पर्यटन सम्मेलनों, ट्रैवेल मार्ट्स में प्रतिभागिता कर प्रदेश के पर्यटन प्रोडक्ट्स से विश्व बाजार को परिचित कराया जाएगा। प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर रोड शो का श्रृंखलाबद्ध आयोजन कर पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों से परिचित कराया जायेगा।
10. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों का बेहतर उपयोग कर पर्यटकों को सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी। मोबाइल बेसड् एप्लीकेशनंस् के माध्यम से उन्हें पर्यटन उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
11. पर्यटन विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों को बेहतर ढंग से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने हेतु एक विशिष्ट पी0आर0 एजेन्सी व मार्केटिंग एजेन्सी का उपयोग किया जायेगा।

19. वैकल्पिक पर्यटन का विकास

19.1. इको टूरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म

1. प्रदेश के समृद्ध वन्य जीवन को पर्यटकों को नजदीक से दिखाने हेतु, वन विभाग के सहयोग से वन्य पर्यटन का विकास किया जाएगा।
2. नेचर कैम्प, नौकायन, प्राकृतिक भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे।
3. वन्य पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे।

19.2. साहसिक पर्यटन

निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों, यथा-रॉक क्लाइम्बिंग, बंजी जम्पिंग, हाट एअर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग जैसे ऐरो स्पोर्ट्स, जलक्रीडा केन्द्र आदि विकसित किए जाएंगे।

- बुन्देलखण्ड व विन्ध्य क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने पर विशेष इन्सेन्टिव्स की व्यवस्था की होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

19.3. सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

- सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश स्तर पर महोत्सवों का आयोजन विभाग द्वारा किया जाता रहेगा।
- पारम्परिक मेलों के आयोजन को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- मेले-महोत्सवों का आगामी 10 वर्षों हेतु आयोजन तिथियॉ पूर्व से प्रचारित की जाएंगी।

19.4. क्राफ्ट टूरिज्म को बढ़ावा

- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कलाओं का धनी है। मुरादाबाद का शिल्प उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, आगरा को इनले वर्क व जरदोजी, वाराणसी का सिल्क उद्योग, गोरखपुर का टेराकोटा, निजामाबाद व खुर्जा का पॉटरी उद्योग, लखनऊ का चिकन उद्योग विश्वविख्यात है।
- पर्यटकों को इनसे परिचित कराने हेतु प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शिल्पग्रामों व शिल्प बाजारों की स्थापना की जाएगी।

19.5. ग्रामीण पर्यटन

- ग्रामीण पर्यटन नीति के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया जायेगा जो किसी विशिष्ट कला पद्धति अथवा हस्तशिल्प, संगीत विधा से जुड़ें हों। यहां पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में विशिष्ट भारतीय व्यंजन, संस्कृति एवं कलाओं को निकट से देखने का अवसर मिलेगा।

19.6. पर्यटन स्वरोजगार को बढ़ावा

- पर्यटन उद्योग से जुड़ी रोजगारपरक् संभावनाओं को विकसित करने हेतु फास्ट फूड सेन्टर्स, सोविनियर शाप्स, बसों, टैक्सियों का संचालन, साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों, कैम्प साइट्स, गैराजों की स्थापना आदि के लिए रु0 10 लाख तक के अनुदान की व्यवस्था लागू की जाएगी।

19.7. माईस

कान्फ्रेस, कंवेशन बैठकें व प्रदर्शिनियॉ आज पर्यटन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश को आगामी दस वर्षो में एक माईस डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट करने हेतुः-

आगरा लखनऊ एवं वाराणसी जो कि माईस पर्यटन के लिये उत्तर प्रदेश में आर्दश पर्यटन केन्द्र है, में ट्रेड फेयर, सेमिनार, एग्जविशन आदि हेतु कन्वेन्शन सेंटर की स्थापना निजी उद्यमियों के साथ मिलकर की जायेगी।

- निजी उद्यमियों को कन्वेंशन टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रदेश में उपलब्ध माइस फेस्लटीज को वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

19.8. स्वास्थ्य पर्यटन

उत्तर प्रदेश योग एवं आर्युवेद का जनक रहा है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियॉ आज भी यहॉ विद्यमान हैं। स्वस्थ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतुः-

- पर्यटन विभाग योग, आर्युवेद, यूनानी पद्धतियों के विशिष्ट केन्द्रों को चिन्हित करेगा तथा उनका डाटा बेस तैयार करेगा।
- योग/आर्युवेद केन्द्रों को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण अनुदान देगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

- योग व स्पा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु निजी संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

19.9. थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क आदि को बढ़ावा

प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए नये आने वाले थीम पार्क/एम्यूजमेन्ट पार्क/वाटर पार्क जैसी योजनाओं को स्थापित करने के लिए मनोरंजन कर एवं सुख साधन कर से 05 वर्ष के लिये छूट प्रदान की जायेगी।

19.10. खेल पर्यटन को बढ़ावा

प्रदेश में महत्वपूर्ण खेल के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में फार्मूला रेस, नोएडा एवं लखनऊ में गोल्फ कोर्स, लखनऊ में बैटमिंटन, कानपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इत्यादि हैं तथा रेवाइन मोटर्स स्पोर्टस एवं लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के स्थापित होने की असीम संभावना है। अतः इसके दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन, पर्यटन उद्योग के सफल विकास एवं आय को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।

19.11. उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन (रिस्पांसिबिल एवं सस्टेनेबल पर्यटन)

वर्तमान युग में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के विकास का दायित्व सभी पर है। हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि हमारा पर्यटन किसी भी प्रकार पर्यावरण को क्षति न पहुचायें, स्थानीय जनसमुदाय उससे लाभान्वित हो तथा हमारे नागरिक सुशिक्षित ढंग से पर्यटन विकास में योगदान दें।

प्रदेश में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन विकसित हो इस हेतु पर्यटन सेवाओं को वर्गीकृत करने की व्यवस्था लागू की जायेगी। पर्यटन उपक्रमों को उनकी गुणवत्ता के मापदण्ड पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा तथा ऐसे पर्यटन उद्यम जो रिस्पांसिबल टूरिज्म विकसित कर रहे हो, को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

20. पर्यटकों की सुरक्षा एवं शोषण से रक्षा

प्रायः पर्यटन स्थलों पर भिखारी, फेरी वाले, टैक्सी ड्राइवर, लपके, गाइड आदि पर्यटकों का पीछा करते है तथा उन्हें अपने क्रियाकलापों से परेशान करते हैं। पर्यटकों के इस शोषण को रोकने हेतु एक विशेष एक्ट लाया जायेगा, जिसके तहत ऐसी गतिविधियॉ दण्डनीय बनायी जायेगी। इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं को मानकीकृत किया जायेगा तथा सक्षम एवं योग्य सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान की जायेगी ताकि आवांछित व्यक्तियों से पर्यटकों की रक्षा की जा सके।

21. पर्यटन विभाग का सुदृढ़ीकरण

1. प्रदेश के पर्यटन विकास को गति देने हेतु मौजूदा पर्यटन संगठन के ढॉचें को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक मण्डल व जनपद में पर्यटन कार्यालय खोले जा सकें।
2. पर्यटन विभाग की कार्य-प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु ई-संचारण व कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. पर्यटन अनुसन्धान एवं प्रर्दशनी प्रकोष्ठ की स्थापना-पर्यटन से सम्बन्धित आकड़ों को इकट्ठा करने तथा इसके सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए पर्यटन अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थाना की जायेगी। इसी भॉति प्रदेश स्थित पर्यटन स्थलों का प्रदेश एवं देश-विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न प्रदेशों एवं विदेश में प्रभावी ढंग से प्रतिभाग हेतु एक प्रर्दशनी प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. विभाग की सेवा में आने वाले नवागत कार्मिकों को पर्यटन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसमें देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थानों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

22. पर्यटन निगम का सुदृढीकरण

1. पर्यटन निगम की अलाभकारी व बन्द पड़ी इकाईयों को निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जायेगा।
2. निगम की लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण इकाईयों का उच्चीकरण किया जायेगा।
3. टूर पैकेजिंग को पर्यटन निगम की मुख्य गतिविधि बनाया जायेगा।
4. पर्यटन निगम के कार्मिकों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी।

23. उक्त पर्यटन नीति 05 (पाँच) वर्षो के लिए मान्य होगी।

24. उक्त पर्यटन नीति की प्रति विभागीय वेबसाइट- **uptourism.gov.in** पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

संख्या-12/2016/120(1)/41-2016 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- अध्यक्ष, राजस्व परिष्द, उ0प्र0।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
10- समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
13- श्री राजाराम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in